Emerging Trends in Education [Vol. 2 - No. 2 . pp 104-110]

बाल–अधिकार : मानवाधिकार शिक्षा हेतु एक चुनौती

सर्वेश तिवारी*

प्रशान्त कुमार पाण्डेय**

मानव कल्याण के विश्व दृष्टिकोण का विकास प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से रहा है।'वसुधैव कुटुम्बकम' एवं 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' जैसे मानवतावादी विचारधाराओं की जन्म–स्थली भारत ही है। इन्हीं जीवन मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा–पत्र को अपनाया गया। इसके अन्तर्गत मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने तथा उनके संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान किये गये। किसी भी सभ्य समाज में रहने वाले व्यक्ति को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि उसके जीवन, स्वतंत्रता, समता व गरिमा को अक्षुण्ण रखा जाए। इन्हीं से जुड़े अधिकारों को मानवाधिकार कहा गया है। मानवाधिकारों के अन्तर्गत सामाजिक जीवन की वे दशाएं शामिल हैं जो मानव को समाज एवं कानून सम्मत कार्यों को सम्पादित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दें। मानवाधिकारों के संदर्भ में बाल अधिकार की बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उनका समुचित भौतिक, मानसिक एवं शैक्षिक विकास हम सब का दायित्व है।

बाल–अधिकार :

हर बच्चे को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है और हम सब का दायित्व है कि बच्चों के जीवन व उनके सम्पूर्ण विकास को सुनिश्चित करें। प्रत्येक बच्चे हेतु निम्नलिखित अधिकार निर्धारित किये गये हैं–

- शिक्षा का अधिकार : प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21(ए) जोड़ा गया जिसमें शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया।
- अभिव्यक्ति का अधिकार : प्रत्येक बच्चे को मनचाहे तरीके से व स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।
- पौष्टिक आहार का अधिकार : प्रत्येक बच्चे को पौष्टिक आहार प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उसका समुचित शारीरिक व मानसिक विकास सम्भव हो सके।
- स्वास्थ्य और देखभाल का : प्रत्येक बच्चे को उसके स्वास्थ्य के संरक्षण और उसकी देखभाल किये जाने का अधिकार है।
- शोषण से संरक्षण का : प्रत्येक बच्चे को किसी भी प्रकार के शोषण से संरक्षण का अधिकार है।

* शोधछात्र, शिक्षा संकाय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

** शोधछात्र, शिक्षा संकाय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

- उपेक्षा से संरक्षण का : प्रत्येक बच्चे को उपेक्षा से परे सुरक्षित और संरक्षित जीवन जीने का अधिकार है।
- विकास का अधिकार : प्रत्येक बच्चे को अपनी पूरी क्षमता और सम्भावना की खोज करने के लिए विकास का अधिकार है।
- मनोरंजन का अधिकार : प्रत्येक बच्चे को खेल, मनोरंजन और अपने व्यक्तित्व के विकास की खोज में कुछ समय बिताने का अधिकार है।
- सूचना का अधिकार : प्रत्येक बच्चे को अपने बुनियादी अधिकारों और समाज में उसकी स्थिति को जानने का अधिकार है।
- उत्तरजीविता का अधिकार : प्रत्येक बच्चे को अपना जीवन जीने का अधिकार है।
- नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार : प्रत्येक बच्चे को अपने राष्ट्र के नाम से पहचाने जाने और उसकी राष्ट्रीयता का अधिकार है।

बाल–अधिकार से सम्बन्धित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान :

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु सदैव से ही प्रयास किये जाते रहे हैं। इस सम्बन्ध में भारत में निम्नलिखित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान किये गये हैं–

- संविधान का अनुच्छेद 24 : 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाना, खान या अन्य खतरनाक व्यवसाय में लगाने पर प्रतिबन्ध।
- संविधान का अनुच्छेद 39 (ङ) : सरकार द्वारा अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करना कि सुनिश्चित रूप से बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर उन्हें ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो।
- संविधान का अनुच्छेद 39 (च) : सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध हों तथा बालकों की शोषण से रक्षा हो।
- संविधान का अनुच्छेद 45 : 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।
- संविधान का अनुच्छेद 21 (क) : संविधान के 86वें संशोधन, 2002 के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।
- भारतीय दण्ड संहिता धारा 82 : 7 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों को किसी भी अपराध में दण्डित करना वर्जित।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 125 : संतान चाहे वे वैध हो अथवा अवैध, भरण–पोषण के भत्ते के हकदार होंगे।

- संरक्षक एवं परिपाल्य अधिनियम, 1890 : न्यायालय की संस्तुति पर अवयस्क के हित को ध्यान में रखते हुए उसकी या उसकी संपत्ति अथवा दोनों के बारे में संरक्षक नियुक्त करने की व्यवस्था।
- कारखाना अधिनियम, 1948 : बच्चों को अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में श्रम पर लगाना प्रतिबन्धित।
- शिशु अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित–1978) : बच्चों को श्रम साध्य या खतरनाक कार्यों में सेवायोजन पर प्रतिबन्ध।
- किशोर न्याय अधिनियम 1986 : बच्चों के हित के लिए तथा उपेक्षित एवं अपचारी बच्चों की देखभाल, विकास तथा पुनर्वास के (यथासंशोधित–2000) साथ–साथ समुचित न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक कानून।
- राष्ट्रीय बाल आयोग : बच्चों के विकास और उनसे सम्बन्धित समस्याओं के सभी पहलुओं का अध्ययन और समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाना।

भारत में बच्चों की स्थिति – एक नजर :

भारत संयुक्त राष्ट्र बाल–अधिकार घोषणा, 1959 का एक पक्षकार है। इसके अनुसार भारत ने सन् 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति अंगीकार कर ली थी। नीति में बच्चों के जन्म से पूर्व और उसके उपरान्त तथा उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास होने तक की अवधि में समुचित सेवाओं के संवैधानिक प्रावधानों की पुष्टि की गई है। भारत ने बच्चों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास सम्बन्धी घोषणा–पत्र पर भी हस्ताक्षर किये हैं। भारत सरकार द्वारा समय–समय पर बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु अनेकों प्रयास किये गये हैं परन्तु फिर भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। यूनिसेफ रिपोर्ट–2005 के अनुसार भारत में अधिकांश बच्चे अपने जीवन, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि अधिकारों से वंचित हैं। लगभग 63 प्रतिशत बच्चों को संतुलित भोजन नहीं मिलता और 53 प्रतिशत बच्चे बुरी तरह से कुपोषित हैं। लगभग 15 करोड़ बच्चे कच्चे घरों में रहते हैं, 7.7 करोड़ बच्चों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता, 2.7 करोड़ बच्चे औसत से कम भंार के हैं और लगभग 3.3 करोड़ बच्चे कभी विद्यालय नहीं गये। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के कुपोषित बच्चों की संख्या विश्व में सवाधिक है और प्रत्येक तीसरा नवजात शिशु औसत से कम भार का है। निरक्षरों की संख्या पूरे विश्व की तुलना में भारत में सबसे अधिक है जिसका दो–तिहाई भाग बालिकाओं की संख्या है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बाल मृत्यु–दर में भारत का विश्व में 49वाँ स्थान है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण की रिपोर्ट यह बताती है कि भारत में 70 प्रतिशत से अधिक बच्चों में आयरन की कमी है। इनमें से अधिकांश बच्चे कुपोषित हैं और बहुत से कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं।

विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी भारत में है। भारत में सम्पूर्ण जनसंख्या का 1/3 भाग 18 वर्ष से कम आयु का है, इसलिए भारत को युवा देश कहा जाता है फिर भी भारत में बच्चों एवं युवाओं की स्थिति निराशाजनक ही है। यहाँ कुछ आँकड़े दिये जा रहे हैं जो भारत में बच्चों की स्थिति को समझने में सहायक हैं–

- भारत में कुल जन्मे बच्चों में केवल 35 प्रतिशत का ही पंजीकरण हो पाता है, जिससे उनके नाम तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख हो सके।
- प्रत्येक 16 में से 1 बच्चे की एक वर्ष की आयु होने तक तथा प्रत्येक 11 में से 1 बच्चे की पाँच वर्ष की आयु तक मृत्यु हो जाती है।
- पूरे विश्व में जन्मे कम भार वाले बच्चों का 35 प्रतिशत भारत में है।
- विकासशील देशों की शिशु मृत्यु दर का 40 प्रतिशत भारत में होती है।
- बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की संख्या का अनुपात भी खतरे का संकेत है। 0–6 वर्ष की आयु वर्ग में यह अनुपात प्रत्येक 1000 बालकों की अपेक्षा 914 बालिकाओं का है।
- प्रत्येक 100 बच्चों में से 19 अभी भी स्कूलों से बाहर हैं।
- प्रत्येक 100 नामांकित बच्चों में से 70 माध्यमिक स्तर तक पहुँचते–पहुँचते स्कूल छोड़ देते हैं, जिनमें ज्यादातर बालिकाएँ होती हैं।
- विश्व में सर्वाधिक बालश्रम भारत में है।

भारत के संदर्भ में दिये गये उपर्युक्त आंकड़े एवं रिपोर्ट यहाँ बच्चों की भयावह स्थिति को व्यक्त करते हैं। इन आंकड़ों से उच्च शिशु मृत्यु–दर, कुपोषण, बाल–श्रम, लिंग–भेद, शिक्षा आदि से सम्बन्धित तथ्यों को देखते हुए इनका सामना करना एक चुनौती मालूम पड़ती है।

मानवाधिकार शिक्षा :

वर्तमान समय में शैक्षणिक सुअवसर तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक गारंटी के बावजूद व्यापक स्तर पर लाखों बच्चे अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है तथा उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। यह आज शिक्षा के लिए एक चुनौती का विषय है। मानवाधिकारों के प्रति किसी भी व्यक्ति की उदासीनता का सबसे मुख्य कारण है– शिक्षा का अभाव। समुचित शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को अपने अधिकारों के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता और मानवाधिकार हनन के मामले घटित होते हैं। मानवाधिकार विशेष रूप से बाल अधिकार हनन के मामलों का सामना हम मानवाधिकार शिक्षा के प्रसार द्वारा प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं। मानवाधिकार शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं सुरक्षा से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत अधिकारों के प्रति सम्मान, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना शामिल है। मानवाधिकार शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के सुरक्षित एवं सम्मानपूर्वक जीवन के लिए आवश्यक है। मानवाधिकार शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों एवं बच्चों में बाल अधिकारों के संरक्षण के प्रति जागरुकता उत्पन्न की जा सकती है जिससे बाल–अधिकारों के हनन को रोका जा सके। मानवाधिकार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानवाधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। इसके अन्य प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं–

- सामाजिक संगठनों, व्यक्तियों व शिक्षा व्यवस्था के बीच अन्तर्क्रिया को बढ़ावा देना।
- सामाजिक मानकों एवं मूल्यों तथा संस्कृति का संरक्षण करना।

- जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना।
- सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करना।
- मानवीय मूल्यों का विकास करना।
- मानव के सर्वांगीण विकास हेतु शोध एवं अन्य क्रियाओं को बढ़ावा देना।

बाल अधिकार की चुनौती :

बाल अधिकारों के संरक्षण से अभिप्राय बच्चों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देना और उनके समग्र विकास के अवसर प्रदान करना है। बाल अधिकारों के संरक्षण के मार्ग में कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं जिनका सामना करना आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य है–

- गरीब एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना।
- 0–6 आयु वर्ग के बच्चों हेतु प्री–स्कूल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाना।
- सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा के अन्तर को समाप्त करना।
- स्कूलों में अपव्यय एवं अवरोधन की दर को कम करना।
- बाल–श्रम का उन्मूलन करना।
- बच्चों के अवैध व्यापार, यौन–शोषण, लड़कियों की खरीद–फरोख्त आदि अपराधों की रोकथाम करना।
- भ्रूण हत्या, बाल–विवाह जैसी सामाजिक बुराईयों को दूर करना।

मानवाधिकार शिक्षा के द्वारा बाल अधिकारों का संरक्षण–कुछ सुझाव :

मानवाधिकार शिक्षा के प्रसार द्वारा बाल अधिकारों का संरक्षण अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। इसके द्वारा व्यक्तियों में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरुकता उत्पन्न की जा सकती है जिससे वे उनका संरक्षण करने हेतु सार्थक कदम उठा सकें। बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन वयस्कों के दृष्टिकोण से देखने के कारण होता है जो उनके जीवन के सारे पक्षों के बारे में निर्णय करते हैं और वे उनके अधिकारों की अपेक्षा उनकी खैरियत का अधिक ख्याल रखते हैं। सरकार की सोच भी व्यापक तौर पर उनकी खैरियतमुखी ही होती है। चूँकि दुनिया में बच्चों की संख्या सबसे अधिक भारत में है इसलिए हमें बाल अधिकारों पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में ध्यान देने की जरुरत है। यदि हम निम्नलिखित उपायों एवं विधियों को अपनायें तो बाल अधिकारों का संरक्षण काफी हद तक किया जा सकता है–

- वर्तमान में बाल श्रम एक गम्भीर समस्या है। इससे निजात पाने के लिए बाल श्रम को एक सामाजिक और आर्थिक समस्या मानते हुए इसके उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय अभियान चलाया जाना चाहिए। इस दिशा में परिवर्तन के लिए हमें व्यापक नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करने होंगे और

नीतियों का क्रियान्वयन ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयास किये जाने चाहिए। रोजगारपरक शिक्षा के माध्यम से भी बाल श्रम पर अंकुश लगाया जा सकता है।

- शिक्षा के अधिकार अधिनियम का कठोरतापूर्वक पालन किया जाना चाहिए जिससे सभी बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त बच्चों के अनुकूल भयमुक्त पठन–पाठन, परीक्षा के भय और मानसिक यंत्रणा का उन्मूलन, शारीरिक दण्ड और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की समाप्ति पर बल दिया जाना चाहिए।

- मानवाधिकार शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए जिससे बच्चे स्वयं के अधिकारों से परिचित हो सकें और उनके संरक्षण के प्रति जागरुक हो सकें।

- बच्चों को भी उनकी उम्र तथा परिपक्वता के अनुरुप फैसला लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार है इसलिए उनके विचारों को भी उचित महत्व देना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों को स्कूलों एवं वर्गों में, आस्था के मामले में अपनी पसंद के धर्म पर अमल में, उनकी सांस्कृतिक व खेलकूद सम्बन्धी संगठनों में, स्थानीय तथा राष्ट्रीय सरकार की फैसला लेने की प्रक्रिया में भागीदारी मिलनी चाहिए।

- निराश्रित बच्चों, अवैध व्यापार पीड़ित बच्चों, संघर्ष अथवा आपदा प्रभावित बच्चों, यौनकर्मियों के बच्चों, बाल श्रमिकों, एच.आई.वी./एड्स ग्रस्त बच्चों, यौन दुराचार से पीड़ित बच्चों, सामान्य क्षमताओं से भिन्न विशेष प्रकार की क्षमताओं से सम्पन्न बच्चों, कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों जैसे सर्वाधिक कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरुरत है।

- निजी अथवा सार्वजनिक सभी प्रकार के स्कूलों में बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएं। मानसिक स्वास्थ्य को स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंतरंग भाग बनाया जाना चाहिए।

- बच्चों के पोषण में सुधार के लिए आम व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है, विशेषकर महिलाओं में जागरुकता बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में परिवारों के बीच पोषण से लाभ की जानकारी विभिन्न माध्यमों से दी जानी चाहिए।

- प्रत्येक बच्चे के लिए हर प्रकार के शोषण से संरक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करना होगा जिससे वह अपने को उपेक्षित व हीन न समझे तथा अपनी पूर्ण क्षमताओं के विकास के आधार पर एक सफल व सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके।

बाल अधिकारों और वर्तमान समय में उनकी स्थितियों की इतनी चर्चा किये जाने के बाद भी बहुत कुछ कहने को बाकी रह जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरु ने एक बार कहा था कि "मैं देश के हर बच्चे की आंख में आने वाले हिन्दुस्तान की तस्वीर देखता हूँ।" पं. नेहरु की यह पंक्ति आज भी उतना ही महत्व रखती है जो उस समय रखती थी। अतः यदि हम वास्तव में भारत को विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें बच्चों की

स्थिति को सुधारने की दिशा में सार्थक प्रयास करना होगा। बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ–साथ संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के साथ ही उन्हें बीमारियों से बचाकर उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की समुचित व्यवस्था करनी होगी। कार्यक्रम की योजना तथा प्रबन्धन में मानवाधिकार पर आधारित सोच की जरुरत है ताकि बाल–अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र के समझौते में निर्धारित सिद्धान्त पर अमल हो सके। बाल–अधिकारों पर ध्यान केन्द्रित कर ऐसी पहलों को आगे बढ़ाने तथा आजादी की लड़ाई के समय के 'भारत छोड़ो' जैसे प्रभावकारी आंदोलन की जरुरत है। इसके लिए हम सब को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

संदर्भ :

- कुरुक्षेत्र, दिसम्बर (2006) : ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ. 4–27.
- कुरुक्षेत्र, सितम्बर (2007) : ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ. 26–28.
- कुरुक्षेत्र, नवम्बर (2007) : ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ. 4–29.
- योजना, मई (2008) : योजना आयोग, नई दिल्ली, पृ. 8–31.
- योजना, नवम्बर (2008) : योजना आयोग, नई दिल्ली, पृ. 17–24 एवं 33–34.
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा (2005) : एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली.
- यूनिसेफ रिपोर्ट (2005)
- ए रिपोर्ट ऑन चाइल्ड राईट्स इन इण्डिया : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार.
- डार्लिंग, लिण्डाफर : टीचिंग ह्यूमन राईट्स इन एलिमेन्टरी क्लासरुम्स, यूनिवर्सिटी आफ ब्रिटिश कोलम्बिया.
- बर्टन (यूनिसेफ), मार्गट ब्राउन, आइसोबेल मिशेल (एमनेस्टी, यू.के.) , हिलेरी क्लेयर, डॉन हैरिसन : लर्निंग अबाउट ह्यूमन राईट्स इन द यंगर एज रेंज–ए फ्रेमवर्क एण्ड आइडियाज फार क्लास वर्क.
- रामचन्द्रन, विमला : स्टेटस ऑफ बेसिक एजूकेशन इन इण्डिया.
- पाठक, पी.डी. व त्यागी, जी.एस.डी. (2008) : शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, पृ. 182–190.
- भटनागर, सुरेश (2004) : आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, आर.लाल बुक डिपो, मेरठ.
- राजपूत, जगमोहन सिंह, कैसे मिलेगा शिक्षा अधिकार : सम्पादकीय, दैनिक जागरण, 21 अप्रैल, 2010.
- सिंह, अजय, मासूम कंधों पर इतनी उम्मीदें :, सम्पादकीय दैनिक जागरण.

Emerging Trends in Education [Vol. 2 - No. 2 . pp 111-113]

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समायोजन एवं भारतीय जीवनादर्श के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

डॉ0 वीरेन्द्र पाण्डेय*

प्रस्तावना (Introduction):

भारतीय संदर्भ में आज भौतिक मूल्यों के प्रबल वेग के सामने नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का पराभव स्पष्टतः दृष्टव्य है। यह अवनति दुर्भाग्य का सूचक है।

वर्तमान समय में विद्यालयों में अपने बच्चों को दाखिल करा देने के बाद ऐसे अभिभावक कम ही होते हैं, जो इस बात की चिन्ता करते हैं कि उनके बालक को मिलने वाली शिक्षा का स्तर क्या है? इसीलिए प्रायः शिक्षा में मूल्यों का ह्रास देखने को मिलता है। चूँकि मानव के सर्वांगीण विकास का साधन शिक्षा को माना जाता है, इसलिए इसकी सिद्धि हेतु शिक्षण सम्बन्धित सभी पक्षों अर्थात् शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय तथा अभिभावक सभी की समान रूप से सहभागिता सुनिश्चित करने में समय–समय पर शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों का आयोजन एवं विद्वतजनों द्वारा प्रेरणास्वरूप महत्वपूर्ण सुझाव अपेक्षित है।

वर्तमान भारतीय शैक्षिक परिदृश्य पर यदि दृष्टि डालें तो विद्यार्थियों में भारतीय जीवन आदर्श के प्रति सकारात्मकता का भाव नहीं दिखाई देता। अतः प्रस्तुत अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के समायोजन एवं जीवन आदर्श के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक है अथवा नही।

उद्देश्य (Obejectives):

- लिंग–भेद के आधार पर उच्चतर माध्यमिक स्तर के कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का समायोजन–स्तर ज्ञात करना।
- कला एवं विज्ञान वर्ग के आधार पर उच्चतर माध्यमिक स्तर के कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का समायोजन में अन्तर ज्ञात करना।
- उच्चतर माध्यमिक स्तर के कक्षा 12वीं में अध्ययनरत कला एवं विज्ञान वर्ग के बालक एवं बालिकाओं की जीवनादर्श के प्रति अभिवृत्ति में अंतर ज्ञात करना।

जनसंख्या एवं प्रतिदर्श (Population & Sample):

वाराणसी नगर में अवस्थित सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को जनसंख्या के रूप में मानते हुए प्रतिदर्श का चयन निम्न सोपानों में किया गया है।

प्रथम सोपान पर शोधकर्त्ता ने वाराणसी नगर में अवस्थित सभी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सूची बनाकर यादृच्छिक विधि से चार बालक विद्यालयों एवं चार बालिका विद्यालयों का चयन किया।

* प्राध्यापक (प्रभारी प्राचार्य), शिक्षा विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

चयनित आठ विद्यालयों में से कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की न्यादर्श सूची से यादृच्छिक विधि से 200 बालक और 200 बालिकाओं का चयन कर इनमें से 100–100 विज्ञान और कला वर्ग के विद्यार्थियों को न्यादर्श में सम्मिलित किया गया।

उपकरण (Tools):

- समायोजन परख प्रश्नावली (भारतीय शिक्षा शोध संस्थान द्वारा निर्मित)
- भारतीय जीवनादर्श अभिवृत्ति मापनी (अनुसंधानकर्ता द्वारा निर्मित)

प्रदत्त संकलन (Data Collection):

चयनित प्रश्नावली एवं मापनी को चुने गये उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर प्रशासित किया गया तथा संकलन के बाद निर्धारित फलांकन कुंजी द्वारा फलांकित करके मूल प्राप्तांक प्राप्त किये गये। उपलब्ध प्रदत्त को विज्ञान तथा कला वर्ग एवं बालक तथा बालिका वर्ग के अनुसार अलग–अलग विस्तृत सारणी में अंकित किया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण (Statistics Analysis):

प्रदत्त विश्लेषण के लिए प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का मध्यमान, मानक विचलन, ज्ञात किया गया। तत्पश्चात् प्राप्त किये हुए प्रदत्त का विज्ञान तथा कला वर्ग एवं बालक तथा बालिका वर्ग के बीच टी–मूल्य तथा सहसम्बन्ध मान ज्ञात किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदत्त की सार्थकता अधिक विश्वसनीय हो जाती है। उक्त निष्कर्ष के आधार पर परिकल्पनाओं का परीक्षण भी किया गया। प्राप्त परिणामों को सारणी 1 से 3 में निम्नवत् प्रस्तुत किया गया है:

सारणी–1– विज्ञान एवं कला वर्ग के विद्यार्थियों के समायोजन के मध्य अंतर का विवरण:

क्र.सं.	संकेत	समायोजन	विज्ञान वर्ग		कला वर्ग		टी प्राप्तांक
			M	SD	M	SD	
1.	क	स्वास्थ्य	5.34	1.2	5.02	1.4	1.71
2.	ख	संवेगात्मक	5.55	1.1	5.48	1.4	0.39
3.	ग	गृह	5.60	1.1	5.51	1.3	0.47
4.	घ	सामाजिक	5.18	1.9	5.12	1.7	0.24
5.	ङ	विद्यालयी	4.66	1.9	5.00	2.0	1.26
6.	योग	सभी का योग	26.23	3.2	26.14	2.8	0.21

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विज्ञान एवं कला वर्ग के विद्यार्थियों के समायोजन के विभिन्न घटकों के संदर्भ में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी–2–समायोजन के विभिन्न घटकों के मध्य लिंग के आधार पर प्राप्त अंतर का विवरण:

क्र0सं0	संकेत	समायोजन	बालक वर्ग		बालिका वर्ग		टी प्राप्तांक
			M	SD	M	SD	
1.	क	स्वास्थ्य	5.18	1.2	5.18	1.4	0.00
2.	ख	संवेगात्मक	5.66	1.1	5.43	1.4	1.29
3.	ग	गृह	5.47	1.5	5.57	1.3	0.52
4.	घ	सामाजिक	5.29	1.8	5.00	1.7	1.18
5.	ङ	विद्यालयी	4.81	2.0	4.88	1.9	0.06
6.	योग	सभी का योग	26.43	2.7	26.03	3.3	0.94

दोनों वर्गों के विद्यार्थियों के मध्य भारतीय जीवनादर्श अभिवृत्ति के मध्यमानों, प्रमाणिक विचलनों, टी–प्राप्तांकों एवं सह–सम्बन्ध मानों की सारणी।

सारणी–3– दोनों वर्गों के विद्यार्थियों के भारतीय जीवनादर्श अभिवृत्ति के मध्य अंतर का विवरण:

क्र0सं0	वर्ग	M	SD	टी प्राप्तांक
1.	विज्ञान	192.64	20.21	0.00
2.	कला	192.65	15.90	
3.	बालक	191.93	16.54	0.24
4.	बालिका	191.38	15.90	

निष्कर्ष:

1. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विज्ञान तथा कला वर्ग के विद्यार्थियों के समायोजन–स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
2. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 12वीं में अध्ययनरत बालक एवं बालिका वर्ग के बीच समायोजन के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विज्ञान तथा कला वर्ग के बालक–बालिकाओं के भारतीय जीवन आदर्श के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि हम नवीन शिक्षा नीति का अनुप्रयोग उचित ढंग से चाहते हैं तो यह आवश्यक होगा कि विद्यार्थियों की अभिवृत्ति तथा विचारों में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।